सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी:नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 /2018

1. गोपाल पुत्र कान्या
2. किशन पुत्र कान्या जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. दामोदर पुत्र चेता
2. मन्नी पत्नी भागोती
3. किशोर पुत्र भागोती
4. शिम्भू पुत्र भागोती
5. पूरण उर्फ झण्डू पुत्र भागोती जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकरायजिला दौसा
7. सहायक कलेक्टर श्री हवाई सिंह यादव दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थिति:1. श्री मानसिंह गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष

निर्णय

दि0 11.07.18

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र स्थानांतरण इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के यहॉ मु0 नं0 46/2017 उनवानी गोपाल बनाम दामोदर विचाराधीन है । जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

विद्धवान अधिवक्ता प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के यहॉ मु0 नं0 46/2017 उनवानी गोपाल बनाम दामोदर विचाराधीन है । अप्रार्थी 1 लगायत 4 द्वारा श्रीमान् के समक्ष स्थानांतरण प्रा0 पत्र पेश करने पर श्रीमान् द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिकराय से उक्त वाद वास्ते सुनवाई न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा को दिनांक 26.06.2012 को स्थानांतरित किया गया था। उक्त प्रकरण जब से सहायक कलेक्टर न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है तब से आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रकरण मूलतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय का है और तब से अब तक कई पीठासीन अधिकारियों के स्थानांतरण हो चुके है। न्याय का सामान्य सिद्धांत है कि जहॉ पर

पक्षकारों के लिये सुलभ न्याय की व्यवस्था व क्षेत्राधिकार हो वहॉ पर ही प्रकरण की सुनवाई की जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय पक्षकारान के नजदीक भी पडता है व उनको सुविधाजनक भी है। इसलिए प्रकरण को सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय के यहॉ स्थानांतरित करने की कृपा करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा के यहॉ वाद विचाराधीन है। विचाराधीन वाद का क्षेत्राधिकार उपखण्ड सिकराय है तथा प्रार्थी अपने प्रा0 पत्र में स्पष्ट रुप से यह कहकर आये है कि पूर्व में यह वाद उपखण्ड अधिकारी, सिकराय से सहायक कलेक्टर, दौसा के यहॉ दिनांक 26.06.2012 को स्थानांतरित किया गया था जिसको लगभग 06 वर्ष हो चुके। प्रार्थी के प्रा0 पत्र में अंकित वाकयात व वरवक्त बहस से यह स्पष्ट है कि प्रकरण स्थानांतरण के बाद आज तक कई पीठासीन अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका। साथ ही पक्षकार को जब नजदीक ही सुनवाई का अवसर है, तो इतनी दूर प्रकरण की सुनवाई किये जाने से कोई फायदा नहीं है। इस संबंध में उभयपक्ष को आने जाने में कठिनाई व आर्थिक भार भी पडता है। राज्य सरकार की मंशानुसार व पक्षकारान की सुविधा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का स्थानांतरण न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा के यहॉ विचाराधीन वाद सं0 46/2017 उनवानी गोपाल बनाम दामोदर का स्थानांतरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय को किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सहायक कलेक्टर, दौसा को आदेश दिये जाते है कि विचाराधीन प्रकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सिकराय को प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देश दिये जाते है कि वादी व प्रतिवादी को सुनवाई/साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 27.0818 को उपस्थित हो। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हों। खुले न्यायालय सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11 जुलाई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा